प्रेस नोट
थाना समाधान दिवस—
दिनांक 28.09.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना को0 नगर में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए आवश्यक दिशा—निर्देशः—

गोण्डा आज दिनांक 28.09.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना को0 नगर में जनसुनवाई की गई। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत—प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना को0नगर में सुनवाई के दौरान 09 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 02 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारित किया गया, शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने—अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया। समस्त थानों में प्राप्त कुल 74 प्रार्थना पत्रों में से 08 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया तथा शेष राजस्व संबंधित मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण हेतु मौके पर भेजा गया।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 28.09.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–245/24, धारा 137(2),87,65 बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त आनंद कुमार पासवान पुत्र दुर्गा प्रसाद नि0 ग्राम वीरापुर पसियनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को मनीपुर ग्रंट जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.09.2024 को थाना छपिया क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की को विपक्षी आनंद कुमार पासवान बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 तेज नरायण गुप्ता द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 28.09.2024 को थाना छपिया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त आनंद कुमार पासवान को मनीपुर ग्रंट जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना के उपरांत धारा 87,65 बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आनंद कुमार पासवान पुत्र दुर्गा प्रसाद नि0 ग्राम वीरापुर पसियनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–245/24, धारा 137(2),87,65 बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 तेज नरायण गुप्ता।
02. हे0का0 श्याम प्रकाश यादव।
03. हे0का0 कुन्दन गौड़।

मीडिया सेल, गोण्डा।